न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—179/2023

प्रार्थी:—

उत्तम कुमार पुत्र पोकरराम जाति घांची निवासी घांचियों का वास,मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. ओम प्रकाश पुत्र पोकरराम जाति घांची
3. गेवरराम पुत्र पोकरराम जाति घांची
4. सांवलराम पुत्र पोकरराम जाति घांची

सभी निवासीयान मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 28.02.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1999/1747 रकबा 3.3103 हैक्टेयर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, पेन कार्ड,, बैंक डायरी आदि में उसका वास्तविक नाम ''उत्तम कुमार पुत्र पोकरराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''उदाराम पुत्र पोकरराम'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थिति से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक .../2.../3345 दिनांक 31.12.202 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड, पेनकार्ड ,बैंक डायरी, परिवार राशनकार्ड, ... परिचय पत्र, जन आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किया ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:46 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''उत्तम कुमार पुत्र पोकरराम ''है,किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1999/1747 रकबा 3.3103 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम ''उदाराम पुत्र पोकरराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी, परिवार राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''उत्तम कुमार पुत्र पोकरराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''उदाराम पुत्र पोकरराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''उत्तम कुमार पुत्र पोकरराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1999/1747 रकबा 3.3103 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''उदाराम पुत्र पोकरराम'' के स्थान पर ''उत्तम कुमार पुत्र पोकरराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.29 18:47:46 IST
Reason: SelfAttested